संख्या- 57/2016/ 477/अड्तीस-9-16-500(22)/2016

प्रेषक

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक-13 अक्टूबर, 2016

विषय- विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत कार्यदायी संस्थाओं (जिनके पी0एल0ए0 नहीं है) से प्राप्त ब्याज की धनराशि को सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मथुरा के पत्रांक-1618/पी0एल0ए0/2016.17, दिनांक-02.09.2016 द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा से प्राप्त आपत्ति के दृष्टिगत विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु अभिकरण द्वारा कार्यदायी संस्थाओं (जिनके पी0एल0ए0 नहीं है) को अवमुक्त धनराशि पर प्राप्त ब्याज की धनराशि को राजस्व प्राप्ति मद में चालान द्वारा जमा कराने हेतु सुसंगत लेखा शीर्षक उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- सूच्य है कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के प्रस्तर-4.6 में निम्नवत् व्यवस्था है:-

"वे कार्यदायी संस्थायें, जिनका पी0एल0ए0 एकाउन्ट नहीं है और वो विधायक निधि की धनराशि को राष्ट्रीयकृत बैंकों के बचत खातों में रखते है, उससे अर्जित ब्याज को उन्हें सम्बन्धित जिला ग्राम्य विकास अभिकरण में वापस करना होगा। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा इस धनराशि को सुसंगत राजस्व प्राप्ति लेखा-शीर्षक में जमा करा दिया जाय।"

3- इस सम्बन्ध में उक्त संदर्भित पत्र दिनांक-02.09.2016 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि की कार्यदायी संस्थाओं द्वारा बैंकों में जमा धनराशि पर अर्जित ब्याज की धनराशि को निम्नलिखित लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराया जाय:-

" 0075- विविध सामान्य सेवायें-
800- अन्य प्राप्तियाँ-
05- राजकीय विभागों द्वारा कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण आदि कार्यों हेतु दी गयी धनराशि पर अर्जित ब्याज "

भवदीय

(सुरेश कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

-2/

संख्या- 57/2016/477(1) /अड़तीस-9-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

2- समस्त जिलाधिकारी/समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0

3- परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मथुरा को उनके पत्रांक-1618/पी0एल0ए0/2016.17, दिनांक-02.09.2016 के क्रम में उपरोक्तानसुार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित।

4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

5- गार्डबुक।

आज्ञा से,

(सुरेश कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।